न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा0पत्र / 01 / 2020

राजस्थान सरकार जरिये सुबोध कुमार प्रवर्तन निरीक्षक, भरतपुर।

......प्रार्थी

बनाम

1. श्री सतवीर सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाट निवासी लक्ष्मीनगर कॉलोनी ,काकाजी की कोठी के पास,संत कृपाल स्कूल वाली गली,भरतपुर ।
2. श्री प्रेमसिंह पुत्र सोहनलाल,निवासी ग्राम अवार तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

निर्णय **दिनांक 17.03.2021**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट विरुद्व अप्रार्थीगण पेश किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.03.2020 को जिला स्पेशल टीम द्वारा अवैध रूप से गैस स्थानान्तरण की सूचना देने पर लक्ष्मीनगर कॉलोनी ,काकाजी की कोठी के पास,संत कृपाल स्कूल वाली गली, भरतपुर पर पहुंच कर जांच की गई । मौके पर वाहन संख्या आर.जे.05 यूए 8542 मारूति सुजूकी ओमनी मौजूद मिली, जिसका मालिक प्रेमसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी अवार तहसील कुम्हेर होना बताया। पूछने पर उनके द्वारा अवगत कराया कि वे सिलण्डर में सतवीर से गैस भरवाने हेतु वैन में आये थे। सिलण्डर की कीमत 866 रूपये तथा 40 रूपये मजदूरी ली जा रही थी । मौके पर वक्त निरीक्षण 14.2 कि.ग्रा. के कुल 29 घरेलू गैस सिलण्डर मय 278.9 कि.ग्रा. गैस पाये गए, जिनमें एक घरेलू गैस सिलण्डर एसआर नम्बर 597021 बीपीसीएल कम्पनी का था, जो वैन से गैस हस्तान्तरण हेतु जुड़ा था तथा एक घरेलू सिलण्डर वैन के अन्दर मौजूद था । मौके पर अवैध गैस हस्तान्तरण हेतु प्रयुक्त एक विद्युत मोटर तथा एक अन्य विद्युत मोटर मय नली व रेग्यूलेटर गैस सिलण्डरों के साथ संग्रहित पाई गई ,जिन्हें मौके पर जब्त किया गया । अप्रार्थी सतवीरसिंह का उक्त कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3,4 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त जब्त शुदा 29 घरेलू गैस सिलण्डर (14.2 कि.ग्रा.भराव क्षमता) मय 278.9 कि.ग्रा.गैस, 2 मोटरों मय नली व रेग्यूलेटर को मैसर्स राज गैस सर्विस, भरतपुर के प्रतिनिधि मैनेजर बलबीरसिंह की सुपुर्दगी में दिया गया तथ मारूति वैन संख्या आर.जे.05 यूए 8542 को थाना मथुरा गेट ,भरतपुर की अभिरक्षा में दी गई। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रा0पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा 29 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2कि.ग्रा. भराव क्षमता) मय 278.9 कि.ग्रा. गैस, 2 विद्युत मोटर मय नली व रेग्यूलेटर एवं मारूति वैन संख्या आर. जे.05 यूए 8542 को राजसात कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 (बी) ईसी एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी सख्या 01 की ओर से जबाब पेश हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

बहस सुनी गई। पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि मौके पर अप्रार्थी सतवीरसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सूती तहसील भरतपुर को घरेलू गैस सिलण्डरों से चौपहिया वाहन मारूति ओमनी वैन रंग सलैटी, नम्बर आर.जे.05 यूए 8542 में विद्युत मोटर की सहायता से गैस का हस्तांतरण करना पाया गया । मौके पर वक्त निरीक्षण 14.2 कि. ग्रा. के कुल 29 घरेलू गैस सिलण्डर मय 278.9 कि.ग्रा. गैस पाये गए तथा इनमें से एक घरेलू सिलण्डर वैन के अन्दर मौजूद मिला । अप्रार्थी के पास घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैध संग्रहण पाया गया है । इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा न तो कोई सन्तोषप्रद जबाव दिया गया और न ही घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण एवं रिफिलिंग कार्य हेतु कोई दस्तावेज या अनुज्ञापत्र प्रस्तुत किये । पैरोकार रसद द्वारा उक्त जमा शुदा सामग्री को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि लगाये गये आरोप बेवुनियाद व तथ्यों के विपरीत है। प्रार्थी न तो रिफलिंग का कार्य करता है और न प्रार्थी के द्वारा दिनांक 06.03.2020 को इस प्रकार का कोई कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी के घर के पास जो वाहन जब्त किया गया है, वह केवल खड़ा हुआ था । निरीक्षण दल द्वारा मौके पर न तो प्रार्थी से 29 गैस सिलण्डर जब्त किये गए है और न प्रार्थी को रिफलिंग करते हुए पाया गया है । प्रार्थी के घर के बाहर उसका स्वयं का सिलण्डर रखा हुआ था, जिसे झूंठी शिकायत के आधार पर जब्त किया गया है। अप्रार्थी पर दबाव डालकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए खारिज किये जाने योग्य है । दौराने बहस प्रार्थी देवेन्द्रसिंह पुत्र दर्याव सिंह जाति जाट निवासी अवार तहसील कुम्हेर ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में 29 गैस सिलण्डर जब्त किये गए हैं, इनमें से एक घरेलू गैस सिलण्डर प्रार्थी का है। प्राथी वाहन मालिक प्रेमसिंह के खास चाचा का लड़का है । प्रार्थी उक्त वाहन में सिलण्डर को रख कर गैस भरवाने लाया था । प्रार्थी द्वारा उसका किसी भी प्रकार अवैध रूप से दुर्पयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी ने उक्त एक घरेलू गैस सिलण्डर को दिलाने की प्रार्थना की गई है ।

हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस का मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अप्रार्थी सतवीरसिंह को मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर से प्रेमसिंह पुत्र सोहनलाल निवासी ग्राम अवार तहसील कुम्हेर की मारूति वैन संख्या आर.जे.05 यूए 8542 में अवैध रूप से गैस स्थानान्तरण का कार्य करते हुए पाया गया है, साथ ही इस कार्य में प्रयुक्त होने वाली 2 विद्युत मोटर मय नली व रेग्यूलेटर एवं 29 अन्य घरेलू गैस सिलेण्डर भी मिले हैं। अप्रार्थी सतवीरसिंह द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डरारण एवं रिफिलिंग कार्य हेतु कोई दस्तावेज या किसी सक्षम

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञापत्र भी प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका जॉच रिपोर्ट एवं फर्द जप्ती कार्यवाही से स्पष्ट है कि मौके पर फर्द जप्ती कार्यवाही में अप्रार्थी सतवीरसिंह के हस्ताक्षर हो रहे हैं। जिसमें उक्त सामान जप्त किये जाने का भी उल्लेख है। इस से यह निर्विवाद है कि अप्रार्थी की गई कार्यवाही एवं फर्द जप्ती कार्यवाही से सहमत था। मौके पर उनके द्वारा विरोध दर्ज कराने का कोई उल्लेख भी पत्रावली पर नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सतवीरसिंह घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रुप से वाहनों में गैस स्थानान्तरण कार्य एवं घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रुप से भंडारण में लिप्त है। अप्रार्थी सतवीरसिंह का उक्त कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का अधिनियम) आदेश 2000 के खण्ड 3, 4 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी देवेन्द्रसिंह पुत्र दर्याव सिंह ने उक्त 29 गैस सिलण्डरों में से एक घरेलू गैस सिलण्डर इन्डेन गैस सर्विस सेन्टर गैस ऐजेन्सी गांव हथैनी का स्वयं का होना बताया है । इसके समर्थन में प्रार्थी देवेन्द्रसिंह द्वारा स्वयं का शपथ पत्र,गैस ग्राहक कार्ड,पास बुक एवं आधार कार्ड की प्रति पेश की है। अतः मौके पर जब्त किये गए 29 गैस सिलण्डरों में से एक घरेलू गैस सिलण्डर इन्डेन गैस सर्विस सेन्टर गैस ऐजेन्सी का प्रार्थी देवेन्द्रसिंह पुत्र दर्यावसिंह निवासी अवार की सुपुर्दगी में दिया जाना एवं 28 घरेलू गैस सिलण्डर (14.2 कि.ग्रा.भराव क्षमता) मय 278.9 कि.ग्रा.गैस, 2 मोटरों मय नली व रेग्यूलेटर को राजसात (Confiscate) किया जाना एवं मारूति वैन संख्या आर.जे.05 यूए 8542 को नरम रूख अपनाते हुये रिलीज किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जब्त किये गए 29 गैस सिलण्डरों में से एक घरेलू गैस सिलण्डर इन्डेन गैस सर्विस सेन्टर गैस ऐजेन्सी का प्रार्थी देवेन्द्रसिंह पुत्र दर्यावसिंह निवासी अवार की सुपुर्दगी में दिया जाकर एवं 28 घरेलू गैस सिलण्डर (14.2 कि.ग्रा.भराव क्षमता) मय 278.9 कि.ग्रा.गैस, 2 मोटरों मय नली व रेग्यूलेटर को राजसात (Confiscate) करते हुए मारूति वैन संख्या आर.जे.05 यूए 8542 को नरम रूख अपनाते हुये (सुपुर्दगी से वागुजार) रिलीज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे घरेलू गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा करायें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86(23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राज्य कोष में जमा कराई जावे, तथा अन्य सामान का नियमानुसार निस्तारण करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर